



प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक-23.09.2026

थाना-तरवां, जनपद-आजमगढ़

- 17 वर्षों से फरार ₹25,000/- के इनामी वांछित अभियुक्त मोनू मिश्रा उर्फ बृजेश मिश्रा गिरफ्तार, थाना तरवां पुलिस को मिली बड़ी सफलता।
- अभियुक्त के कब्जे से .315 बोर का देशी तमंचा एवं 01 जिन्दा कारतूस बरामद, गिरफ्तारी के बाद आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत।
- अभियुक्त के विरुद्ध अपहरण, दुष्कर्म, मारपीट एवं गैंगेस्टर एक्ट सहित कुल 05 अभियोग पंजीकृत, वर्ष 2010 से लगातार फरार चल रहा था।

आजमगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री ग्रामीण चिराग जैन एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री भूपेश पांडे के कुशल पर्यवेक्षण में दिनांक 23.09.2026 को थाना तरवां पुलिस द्वारा 17 वर्षों से फरार चल रहे ₹25,000/- के इनामिया वांछित अभियुक्त को अवैध असलहा एवं जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अवगत कराना है कि वादी मुकदमा, थाना तरवां द्वारा अपनी पुत्री को मोनू मिश्रा उर्फ बृजेश मिश्रा द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में दिनांक 16.03.2009 को प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसके आधार पर मु0अ0सं0-160/2009 धारा 363, 366 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसके बाद दिनांक 30.03.2009 को वादी की दूसरी पुत्री को भी भगाकर ले जाने के संबंध में मु0अ0सं0-216/2009 धारा 363, 366, 120बी, 376 भादवि पंजीकृत किया गया, जिसमें अभियुक्त मोनू मिश्रा उर्फ बृजेश मिश्रा पुत्र स्व0 श्याम नारायण मिश्रा उर्फ सामू मिश्रा, निवासी ग्राम तरवां सैरैया, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किए गए, परन्तु वह गिरफ्तारी से बचता रहा। अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0-225/2010 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट का अभियोग भी पंजीकृत किया गया। अभियुक्त वर्ष 2010 से लगातार फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ द्वारा दिनांक 27.11.2022 को ₹25,000/- का इनाम घोषित किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 23.09.2026 को थानाध्यक्ष तरवां मय पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग एवं वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर मोनू मिश्रा उर्फ बृजेश मिश्रा पुत्र स्व0 श्याम नारायण मिश्रा उर्फ सामू मिश्रा, निवासी ग्राम तरवां सैरैया, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ को समय करीब 05:00 बजे नवरसिया पुलिया के पास, ग्राम डुभाव से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से .315 बोर का देशी तमंचा एवं 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0-192/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-585/2008 धारा 323, 504, 506, 308 भादवि, थाना तरवां, आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0-160/2009 धारा 363, 366 भादवि, थाना तरवां, आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0-216/2009 धारा 363, 366, 120बी, 376 भादवि, थाना तरवां, आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0-225/2010 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट, थाना तरवां, आजमगढ़।
5. मु0अ0सं0-192/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना तरवां, आजमगढ़।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि वह वर्ष 2010 से गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना स्थान एवं नाम बदलकर रह रहा था। काफी समय बीत जाने के बाद उसे लगा कि पुलिस अब उसकी तलाश नहीं कर रही होगी, इसलिए वह अपने परिचितों से मिलने एवं मुकदमों के संबंध में राय-मशविरा करने के लिए वापस आया था, जहां पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।
2. व0उ0नि0 अजय कुमार सिंह, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।

3. उ0नि0 अतुल कुमार मिश्रा, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।
4. का0 कमलेश कुमार यादव, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।

